रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072023-247391 CG-DL-E-17072023-247391

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] No. 408] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2023/आषाढ़ 26, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

सा.का.िन. 514(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 80ठक की उपधारा (3) के खंड (i), धारा 10 के खंड (4ङ), धारा 115पख की उपधारा (7), धारा 139क की उपधारा (8) के खंड (घ) और धारा 206कक की उपधारा (7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2023 है।
 - (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),
 - (i) नियम 21कट के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (4ङ) के अधीन,

4600 GI/2023 (1)

- (क) गैर परिदान योग्य अग्रिम संविदाओं या अपतट व्युत्पन्न लिखतों या ओवर द काउंटर व्युत्पन्नों के अंतरण; या
- (ख) अपतट व्युत्पन्न लिखतों की आय के वितरण,

के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को प्रोद्भूत या उदभूत या उसके द्वारा प्राप्त आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त होगी, अर्थात् :-

- (i) गैर परिदान योग्य अग्रिम संविदा या अपतट व्युत्पन्न लिखत या ओवर द काउंटर व्युत्पन्न अनिवासी द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की अपतट बैंककारी इकाई में प्रविष्ट कराई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (बैंककारी) विनियम 2020 के अधीन वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है; और
- (ii) ऐसी संविदा, लिखत या व्युत्पन्न अनिवासी द्वारा भारत में इसके स्थायी स्थापन के माध्यम से या उसके निमित्त प्रविष्ट नहीं कराई जाती है।";
- (ii) नियम 114ककख के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - '(क) "विनिर्दिष्ट निधि" से न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है जिसे प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग-2 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है तथा जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या विनिर्दिष्ट निधि में अवस्थित है;'।
- 3. मूल नियम के परिशिष्ट II में,-
- (i) प्ररूप सं. 10 गगच के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 10गगच [नियम 19कङ देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक (3) के अधीन रिपोर्ट

- (जो लागू हों उस पर सही का निशान लगाए)
 - (क) अपतट बैंककारी इकाई (इकाईयां) /जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम) में अवस्थित है/हैं, या
 - (ख) निर्धारिती के स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई जो 31 मार्च...... को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा की जाती है/हैं :

के कारबार के संबंध में, मैं/हम (स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक के साथ निर्धारिती का नाम और पता) के लेखे और अभिलेख परीक्षण कर चुके हैं। 2. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निर्धारण वर्ष के संबंध में आय-कर नियम, 1961 की धारा 80ठक की उपधारा (1)/उपधारा (1क) के अधीन निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौतीरुपए, जो निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय के आधार पर अवधारित की गई है। उक्त रकम इस प्ररूप के उपाबंध (क) में ब्यौरों के आधार पर तय की गई है।

तारीख :	हस्ताक्षर
स्थान :	लेखाकार

उपाबंध क		
1. निर्धारिती का नाम		
2. निर्धारण वर्ष		
3. स्थायी लेखा संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि लागू हों)		
4. निर्धारिती के स्वामित्व वाली – (क) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतट बैंककारी इकाई (इकाईयां), या (ख) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई, का नाम और पता (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं) (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन प्राप्त अनुज्ञा (अनुज्ञाओं) की एक प्रति कृपया संलग्न करें)		
5. निर्धारिती द्वारा धारा 80ठक की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कटौती के दावे का पहला निर्धारण वर्ष		
6. धारा 80ठक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इकाईयों की कुल आय (रुपए में)		
घटाएं :		
7. ऊपर 6 में से, कुल आय, जो संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होती है (रुपए में)		
8. कुल पात्र आय (रुपए में)		
घटाएं :		
9. कुल पात्र आय के फलस्वरूप व्यय (मद 8) (रुपए में)		
10. धारा 80ठक के अधीन कटौती के लिए पात्र आय (8-9) (रुपए में)" ;		

(ii) प्ररूप सं. 64घ में,-

- (क) क्रम संख्या 7 के सामने, पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(i) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम 2012 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकृत है:"
- (ख) क्रम संख्या 12 में, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड", शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें", शब्दों पर समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जा सकेगा, अर्थात् :- "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि)

विनियम 2012 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।"

[अधिसूचना सं. 50/2023/फा.सं.370142/22/2023-टीपीएल] अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में क्रम संख्या का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457 (अ), तारीख 23 जून, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2023

- **G.S.R. 514(E).** In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of section 80LA, clause (4E) of section 10, sub-section (7) of section 115UB, clause (d) of sub-section (8) of section 139A and clause (ii) of sub-section (7) of section 206AA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Income-tax (Twelvth Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules),
 - (i) in rule 21AK, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(1) The income accrued or arisen to, or received by, a non-resident as a result of
 - (a) transfer of non-deliverable forward contracts or offshore derivative instruments or over-thecounter derivatives; or
 - (b) distribution of income on offshore derivative instruments,

under clause (4E) of section 10 of the Act, shall be exempted subject to fulfilment of the following conditions, namely:—

- (i) the non-deliverable forward contract or offshore derivative instrument or over-the-counter derivative is entered into by the non-resident with an offshore banking unit of an International Financial Services Centre which holds a valid certificate of registration granted under International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 by the International Financial Services Centres Authority; and
- (ii) such contract, instrument or derivative is not entered into by the non-resident through or on behalf of its permanent establishment in India.";
- (ii) in rule 114AAB, in the Explanation, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 - '(a) "specified fund" means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a Category I or Category II Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or regulated under the International

Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and which is located in any International Financial Services Centre or a specified fund referred to in sub-clause (i) of clause (c) of *Explanation* to clause (4D) of section 10;'.

- 3. In the principal rules, in APPENDIX II,—
 - (i) for Form No. 10CCF, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 10CCF

[See rule 19AE]

Report under section 80LA(3) of the Income-tax Act, 1961

1. I/We have examined the accounts and records of (name and address of the assessee with Permanent Account Number or Aadhaar Number) relating to the business of:

(Tick as applicable)

Date:

Place:

- (a) Offshore Banking Unit(s)/ which is/are situated in the Special Economic Zone (name of the Special Economic Zone), or
- (b) Unit of an International Financial Services Centre,

owned by the assessee, which is/are carried on by the assessee during the year ended on 31st March _____

2. I/We certify that the deduction to be claimed by the assessee under subsection (1)/subsection (1A) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961, in respect of the assessment year is Rs _____, which has been determined on the basis of the income received by the assessee in convertible foreign exchange. The said amount has been worked out on the basis of the details in Annexure A to this Form.

Signed

Accountant

ANNEXURE A	
1. Name of the assessee	
2. Assessment year	
3. Permanent account number and Aadhaar number (If applicable)	
4. Name and address of the (Tick as applicable)	
(a) Offshore Banking Unit(s) in any Special Economic Zone, or	
(b) the Unit of an International Financial Services Centre,	
owned by the assessee—	
(Please enclose a copy of the permission(s) obtained under clause (a) of sub-section (1) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 or the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019)	
5. First assessment year of claim of deduction under sub-section(1) or sub-section (1A) of section 80LA by the assessee	
6. Gross income of the units referred to in sub-section (2) of section 80LA (in Rs.)	
Less:	
7. Out of 6 above, gross income which is not received in convertible foreign exchange (in Rs.)	
8. Gross eligible income (in Rs.)	
Less:	
9. Expenses attributable to the gross eligible income (item 8) (in Rs.)	
10. Income eligible for deduction under section 80LA (8-9) (in Rs.)";	

- (ii) in Form No. 64D,
 - (A) against serial number 7, for paragraph (i), the following paragraph shall be substituted, namely:—

- "(i) Whether registered as Alternative Investment Fund with Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 or the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022:"
- (B) in serial number 12, for the paragraph starting with "Attach a copy of the certificate of registration" and ending with "Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.", the following paragraph shall be substituted, namely:— "Attach a copy of the certificate of registration under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 or the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022."

[Notification No. 50/2023/ F. No.370142/22/2023-TPL]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R.457 (E) dated 23rd June, 2023.